सत्र समापन अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष का उद्‌बोधन

तृतीय विधानसभा के अष्टम सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह शीतकालीन सत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2011 से 23 दिसम्बर 2011 के मध्य आहूत था। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस शीतकालीन सत्र का समापन अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है।

वर्तमान सत्र की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् प्रतिपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की गई । वस्तुतः अविश्वास प्रस्ताव प्रतिपक्ष के पास एक ऐसा प्रभावी अस्त्र है, जिसके द्वारा वह सरकार की विफलताओं को इस सभा के माध्यम से जन–जन तक पहुॅचाने का प्रयास करता है और साथ ही शासन की चूक की ओर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता है । अविश्वास प्रस्ताव की सूचना के महत्व को देखते हुये इसे इस सत्र के प्रथम दिन ही सभा की अनुमति के लिये रखा गया और दिनांक 16 दिसम्बर से अविश्वास प्रस्ताव पर सभा में चर्चा प्रारंभ हुई । अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन में कुल 23 घण्टे 19 मिनट तक जारी चर्चा में 48 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और शासन की चूक को प्रभावी रूप से सभा में रखा, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शासन की उपलब्धियों का उल्लेख अपने भाषण में किया और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इन तीन दिवसों का लेखा–जोखा सभा के माध्यम से जन–जन तक पहुॅचाने में दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने अपनी भूमिका का निर्वाह कुशलतापूर्वक किया । मैं सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त माननीय सदस्यों को सभा में सार्थक एवं गंभीर विचार–विमर्श करने के उनके दायित्वबोध के लिये उनकी प्रशंसा करता हूॅ ।

सभा में विचारों की अभिव्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण यह भी होता है कि सभा में विचारों की अभिव्यक्ति से सभा की गरिमा एवं प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हो । अतः मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन में अपनी वाणी, विचार और शब्दों के संयोजन को सदन की मर्यादा के अनुकूल बनाये रखने का प्रयास करें क्योंकि जैसा कि मैने पूर्व में ही कहा कि सदन की श्रेष्ठता उस सदन के माननीय सदस्यों के आचरण और व्यवहार पर निर्भर करती है।

आप सभी माननीय सदस्य इस तथ्य से भिज्ञ हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधानमंडल प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से

हल निकालने का एक मात्र स्थान होता है, और मेरा यह भी मानना है कि संसदीय परंपराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास दृढ़ता से स्थापित हो सकता है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु और अधिक सजग रहने का प्रयास करें। मेरे कहने का आशय है कि आप माननीय सदस्य यह विचार करें कि सदन का निर्बाध संचालन कैसे हो ? सदन में अधिकाधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा कैसे हो ? चर्चा के उपरांत हमने जो निष्कर्ष प्राप्त किया उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ? क्योंकि संसदीय सदन की सार्थकता उपरोक्त बिन्दुओं पर ही अवलंबित है।

इस सत्र में मुझे इस बात का हार्दिक संतोष है कि प्रत्येक वह विषय जो छत्तीसगढ़ की सद्भावना, संकल्प विकास से संबंध रखता है और जिस पर सदन में चर्चा आवश्यक रही हो उस प्रत्येक विषय को सदन में उनके द्वारा रखा गया। सम–सामयिक अविलंबनीय लोकमहत्व के विषयों को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा हेतु रखा जाना ही उनके जागरूक होने का प्रमाण है। सदन की कार्यवाही के सुव्यवस्थित संचालन में पक्ष–प्रतिपक्ष के मध्य एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और इस पर मै गर्व भी करता हूं कि इस सदन में पक्ष–प्रतिपक्ष के मध्य श्रेष्ठ समन्वय, और आसंदी के प्रति सम्मान का भाव विद्यमान है।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार 20 दिसम्बर को राधिका वात्सल्य ग्रुप क्रिएशन्स नागपुर ने हिन्दी नाटक ''स्वामी विवेकानंद'' की जीवंत प्रस्तुति से हम सभी का मन मोह लिया।

इस सत्र में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 1980 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र–छात्राएं राज्य की सर्वोत्तम प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सके।

अब मैं इस शीतकालीन सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 7 कार्य दिवसों में कुल 47 घंटे चर्चा हुई। इस सत्र में 779 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 338 रहे इनमें से 77 प्रश्नों पर चर्चा हुई। इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 11 प्रश्न का रहा, अर्थात प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने अधिकतम लाभ उठाया। प्रश्नकाल में हमेशा की तरह आप माननीय सदस्यों ने पूरी संजीदगी से विषय विशेष से संदर्भित प्रश्नों को सदन में रखा और शासन ने उन प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी

कोशिश की शासन में पारदर्शिता और शुचिता कायम रहे इस हेतु यह सदन सदैव से सजग रहा है, इसका एक उदाहरण है कि इस सत्र में दिनांक 19 दिसम्बर 2011 की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान **साल बीज संग्रहण में अनियमितता** संबंधी प्रश्न की जॉच हेतु आसंदी ने यह प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया । इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के अधिकांश विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र में 9 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 4 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये तथा चारों संकल्प स्वीकृत हुए। इस सत्र में एक शासकीय संकल्प भी लाया गया जो सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

इस सत्र में स्थगन की कुल 41 सूचनायें तथा शून्यकाल की 64 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 44 सूचनाएं ग्राह्य हुई ।

तृतीय विधानसभा के इस अष्टम सत्र में कुल 248 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनम 51 सूचनाएं ग्राह्य हुई । इस सत्र में कुल 7 विधेयक लाए गए एवं सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में कुल 5 विभागीय प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 42 याचिकाएं भी सदन में प्रस्तुत हुई । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों को पुर्नस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रदेश की 2 करोड़ 15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करती है और मुझे सदन को यह बताने में खुशी हो रही है कि यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व सकारात्मक तरीके से कर रहा है । इसका अनुपम उदाहरण यह है कि सदन ने सर्वानुमति से इस प्रदेश के किसानों एवं आदिवासियों के हितों का ध्यान रखते हुये शासकीय सेवा में आदिवासियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का विधेयक पारित किया वहीं दूसरी ओर कृषकों को उनकी उपज का समुचित मूल्य मिले इस उद्देश्य से धान का समर्थन मूल्य क्रमशः 1980 रूपये एवं 2000 रूपये करने का शासकीय संकल्प सर्वानुमति से पारित किया । मुझे विश्वास है कि यह कदम छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा ।

माननीय सदस्यों को उनके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में जागरूक करने की दृष्टि से तम्बाखू नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला आयोजित की गई जिसमें देश के प्रख्यात केंसर चिकित्सक टाटा हास्पिटल, मुंबई ने अपना सारगर्भित व्याख्यान दिया ।

इस प्रकार यह सत्र सभी मायनों में सफल रहा और इसकी सफलता का श्रेय सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, संसदीय सचिव

एवं समस्त माननीय सदस्यों को जाता है। जिन्होने संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के पालन का अद्वितीय उदाहरण अपने कार्यकरण से प्रस्तुत कर इस सत्र को निर्विध्न सफल होने में अपना अधिकतम सहयोग दिया।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित आवश्यक स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा। इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एवं सभा के संचालन में सहयोग देने के लिये उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सभापति तालिका में प्रथम बार नामांकित महिला सदस्य श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर को भी बधाई देता हूँ ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विध्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हे भी धन्यवाद देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधानसभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं। कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी बजट सत्र मार्च माह के द्वितीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं क्रिसमस एवं नववर्ष की अनन्य शुभकामनाएं आपको एवं आपके माध्यम से प्रदेश वासियों को देता हूं कि आनेवाला वर्ष हम सभी के लिये मंगलकारी हो साथ ही यह आवाह्न करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृंद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

धन्यवाद !

जय – हिन्द ! जय – भारत ! जय – छत्तीसगढ़ !